

एच. उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांतों का उल्लेख किया:

1. उद्देश्यों का सिद्धांत - संगठन को प्रयोजन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए।
2. अनुरूपता का सिद्धांत - कार्य के लिए उच्चाधिकारियों का उतरदायित्व यदि अधीनस्थ निरपेक्ष हो।
3. उतरदायित्व का सिद्धांत -
4. स्केलर सिद्धांत
5. नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत - उच्च अधिकारी उन पांच या छः अधीनस्थों से अधिक के काम का प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। जिनके कार्य आपस में गुंथे हुए हैं।
6. विशेषज्ञता का सिद्धांत - एक के कार्य को सीमित कर एक ही कार्य बनाना।
7. समन्वय का सिद्धांत
8. परिभाषा का सिद्धांत - प्रत्येक इयूटी का स्पष्ट विवरण।

हेनरी फेयोले ने संगठन के 14 सिद्धांतों का सेट प्रस्तुत किया जो निम्न हैं:-

1. कार्य का विभाजन - इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य श्रम को उसी प्रयास से अधिक और बेहतर कार्य उत्पन्न करने को समर्थ बनाता है।
2. प्राधिकार और उतरदायित्व - प्रत्येक पद के अधिकारी को उसे सौंप गए सभी उतरदायित्वों का निर्वहन करने के पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए अर्थात् उतरदायित्व प्राधिकार का अपसिद्धांत है, यद्यपि इसका स्वभाविक परिणाम है और आवश्यक प्रतिपक्ष है जो कुछ ही प्राधिकार प्रयोग किया जा सकता है।

है, उसमें उतरदायित्व अस्तित्व में होता है।

3. अनुशासन - मतलब कि सदस्य संगठन और उसके सदस्यों के बीच स्थायी करार के अनुसार व्यवहार किया जाता है।
4. आदेश की शक्ति - अचीनस्थ कर्मचारी को आदेश केवल अपने उच्च अधिकारी से प्राप्त करने चाहिए।
5. निर्देशन की शक्ति - प्रत्येक कर्मचारी का एक प्रमुख और प्रत्येक कार्यकारी के लिए एक योजना।
6. सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित का दमन - संगठन का हित व्यक्ति और सांख्यिक हित के उपर होना चाहिए।
7. कार्मिक का पारिश्रमिक - कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं के लिए दिया गया वेतन या पारिश्रमिक उपयुक्त, उत्साहवर्धक होना चाहिए अथवा यह अव्यक्त भुगतान नहीं होना चाहिए या तर्कसंगत सीमाओं से परे नहीं होना चाहिए।
8. केंद्रीकरण - यह केवल निर्दिष्ट करता है कि समग्र उतरदायित्व शीर्ष कार्यपालक में केंद्रित होता है।
9. स्केलर श्रृंखला - यह शीर्ष स्तर से नीचे तक तक पदानुक्रम के साथ-साथ प्राधिकार की श्रृंखला है।
10. आदेश - कर्मचारी उस कार्य को अपनाता है जिसमें वह सबसे अधिक प्रभावी सेवा दे सकता है।
11. समानता - संगठन को नियोजित कर्मचारी संबंधों में भेदभाव और न्याय के आधार पर समानता के वातावरण को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि कर्मचारी अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक पूरी करें।
12. कार्यकाल का स्थायित्व - ताकि कर्मचारी अपने कार्यों पर व्यवस्थित हो सकें और कार्य की आवश्यकताओं के अनुकूल समायोजित हो सकें।

पहल

13. कर्मचारियों को अपनी दक्षताएं और सहभागिता की भावना सुधारने की दृष्टि से अपनी पहल शक्ति दिखाने के अवसर दिए जाने चाहिए।
14. हल भावना - यह सिद्धांत सौहार्द और शक्ति पर आधारित अंतर्व्यक्तिक संबंधों के अनुरक्षण तथा सांघिक कार्य की आवश्यकता में अंगदान करता है।